

दिनांक
23/6/25

नया नं. 2025/729 हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अदालत जो इस
हुकम की सामील
वे जारी हुए

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्यय/विधि/2025/42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा
न्यायलय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विद्यमान राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा
53, 58, 59, 62, 63, 103, 108 एवं 212 के अन्तर्गत विवादाधीन तहसील सवाईपुर की पत्रावलिया अंतर्गत
इसके करते सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पक्षकारों को वास्तु सुनवाई तालिका किया
जाकर कार्यवाही की जाती है। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से अंतरित उक्त पत्रावलियों
का सन्धक रूप से निर्यात किया गया है। एवं अनर्हितार्थ कास्तकारी अधिनियम 1956 की
धारा 210 (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियों
में तल्लि नाम प्रदान किये जाने एवं गृणवलापूर्व निस्तारण किये जाने हेतु केम्प कोर्ट दिनांक 23/6/25
की केम्प कोर्ट अगस्त में जैसा हुई।
वानी एवं वानी आधिकारता उप-वानी वानी
राम प्रार्थना जब में कोई कार्रवाही
श्री-पाहले से डाक्री का डाक्रीन जब में
कोई कार्रवाही भेजासित नहीं है अतः
डाक्री का डाक्रीन जब कार्रवाही किया
जाता है। प्रभावली फौजल कुमार लोक
नाखिल दफ्तर से नया नम्बर से कम
है।

श्रीरामलाल
उक्त कार्यवाही
में कोई कार्रवाही
श्री-पाहले
23/6/25

23/6/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा